



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]

नई दिल्ली, शक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 01]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

सं. 2013/ई एण्ड आर/1(3)/8.—आम सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार ने पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का विनिश्चय किया है।

पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल का क्षेत्राधिकार कि.मी. 839.30 से कि.मी. 848.92 तक बढ़ाया गया है और बैरागढ़ स्टेशन को शामिल किया गया है। तदनुसार, पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडलों के बीच की सीमा को कि.मी. 839.30 से कि.मी. 848.92 से उज्जैन/मकसी जं. की ओर शिफ्ट किया जाता है।

क्षेत्राधिकार में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन 1 फरवरी, 2018 से प्रभावी होंगे।

रंजनेश सहाय, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2018

No. 2013/E&R/1(3)/8.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Bhopal Division of West Central Railway and Ratlam Division of Western Railway.

The jurisdiction of Bhopal Division of West Central Railway has been extended from KM 839.30 to KM 848.92 upto and including Bairagarh station. The boundary between Bhopal Division of West Central Railway and Ratlam Division of Western Railway is accordingly shifted from KM 839.30 to KM 848.92 towards Ujjain/Maksi Jn.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1st February 2018.

RANJANESH SAHAI, Secy.